न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00270 **दायरा दिनांक : 06.12.2019**

उनवान

रामभरोसी बाई पत्नी छीतरलाल, जाति सहरिया, निवासी मौखमपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज०
.... अपीलांट

बनाम

1– छीतरलाल आत्मज जयलाल
2– मुकुट बिहारी आत्मज जयलाल
3– राधेश्याम आत्मज जयलाल
4– रामबिलास आत्मज जयलाल
5– संतोष बाई पुत्री जयलाल
6– सुगना बाई पुत्री जयलाल
जाति धाकड, निवासीगण बिलेण्डी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
7– शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे., शाखा छीपाबडोद
8– भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहत्त सिंचाई परियोजना, झालावाड
9– भू एवं जल संसाधन विभाग बारां, जिला बारां राज०
10– राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अमृत मीणा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ऋषिराज नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 14.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 187/2017/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 44, 45, 47, 72, 124, 279, 312, 351, 352, 353, 355, 376, 379 किता 13 रकबा 54 बीघा 17 बिस्वा मौजा बिलेण्डी, तहसील छीपाबडौद, जिला बारां राजस्थान में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद ने अपने निर्णय व डिकी दिनांक 05.08.2019 से वादिया का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय एवं संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादनी का वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा को डिक्री न कर खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि विवादित आराजी शंकर आत्मज कान्हा के खाते की भूमि है जिस पर शंकर का कब्जा काश्त चला आ रहा था उनकी मृत्यु के बाद उनकी एक मात्र पुत्री मोटी बाई व मोटी की मृत्यु के बाद धूली बाई का कब्जा रहा। वादनी अपीलान्टा धूली बाई की एक मात्र पुत्री है जिसका धूली बाई की मृत्यु के बाद कब्जा चला आ रहा है। इस कारण वादनी खातेदार घोषित होने योग्य थी फिर भी उसे खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं० 1 ता 4 वादनी के विरूद्ध व तनकी नं0 5 से 7 प्रतिववादी नं. 1 ता 6 के पक्ष में निर्णित कर वादनी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादनी अपीलांट ने कथन किया कि विवादित भूमि पर वादनी का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु कब्जा बाबत लिखित साक्ष्य पेश न करने के कारण दावा वादनी खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि रेस्पो० नं. 01 ता

06 के नाम दर्ज होने तथा उनका न होते हुये भी रेस्पो० नं. 01 ता 06 का कब्जा मान कर वादनी अपीलान्ट का दावा खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है इस कारण भी निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05–08–2019 निरस्त किया जावे तथा वादनी अपीलान्ट का दावा डिक्री किया जाकर विवादित भूमि ख0 नं0 124 की 12 बीघा 9 बिस्वा भूमि का वादनी अपीलान्टा को खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि रेस्पो० नं. 01 ता 06 के खाते से कम की जाकर वादनी अपीलान्ट के खाते दर्ज करने का निर्णय व डिक्री जारी की जावे तथा उक्त भूमि अवाप्त होने पर उसका मुआवजा वादिनी के अलावा अन्य किसी को नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.11.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील मेमो के कथन ही अपीलांट की बहस मानने हेतु अनुरोध किया। रेस्पोडेंट के अभिभाषक द्वारा बहस के दौराने कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 6 की पुश्तैनी आराजी है। रामभरोसी की जिरह से स्पष्ट है कि उसका कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। रामभरोसी ने शंकर की पुत्री होना बताया है जबकि शंकर की पुत्री गोरी बाई थी। अपीलांट द्वारा अपने पिता के नाम के बारे में कोई प्रमाण पेश नहीं किया। अन्य गवाहों के अनुसार भी शंकर के वारिसान के बारे में स्पष्टता नहीं होती तथा रेस्पोडेंट्स का कब्जा काश्त व पुश्तैनी आराजी होना प्रमाणित होता है।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया। नकल बंदोबस्त खाता मोजा संवत 1983–1986 के अनुसार खसरा सं. 999/78 रकबा 9.15 बीघा शंकर बेटा कान्हा के खातेदारी में दर्ज होने का उल्लेख है लेकिन इंतकाल नं. 1115 से खातेदारी खारिज होने का नोट अंकित है। नकल खतौनी बन्दोबस्त संवत 2013–2032 के अनुसार विवादित आराजी जयलाल पुत्र भंवरलाल के नाम दर्ज है।

चूंकि अपील अपीलांट द्वारा पेश की गई है। अतः उसे साबित करने का भार भी अपीलांट पर था लेकिन प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि अपीलांट अपील के तथ्य साबित करने में विफल रहे हैं। रामभरोसी बाई के शंकर बेटा कान्हा की वारिसान होने को साबित नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट का कब्जा माना है।

हमारी राय में वाद 70 वर्ष बाद बिना कब्जे काश्त को सिद्ध किये तथा शंकर पुत्र कान्हा के साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित किये बिना पेश करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया। अपीलांट द्वारा अपील को भी प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/5/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– रामभरोसी बाई पत्नी छीतरलाल, जाति सहरिया, निवासी मौखमपुरा, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां राज0

बनाम

.... **अपीलांट्स**

1– छीतरलाल आत्मज जयलाल
2– मुकुट बिहारी आत्मज जयलाल
3– राधेश्याम आत्मज जयलाल
4– रामबिलास आत्मज जयलाल
5– संतोष बाई पुत्री जयलाल
6– सुगना बाई पुत्री जयलाल, जाति धाकड़, निवासीगण बिलेण्डी, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां
7– शाखा प्रबन्धक, एस.बी.बी.जे., शाखा छीपाबडौद
8– भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहत सिंचाई परियोजना, झालावाड
9– भू एवं जल संसाधन विभाग बारां, जिला बारां राज0
10– राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट्स**

अपील नं **2019 / 00270**
मु.द.नं0 **187 / 2017**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,छीपाबड़ौद**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **05.08.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **29 माह 04** सन् **2024**

श्री **अमृत मीणा** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **ऋषिराज नागर** अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 6 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.08.2019 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **14 माह 05 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)